अनुदान संख्या 104 - जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 104–MINISTRY OF WATER RESOURCES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	835,57,00		835,58,00	723,05,48	–112,52,52
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					93,71,38
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*3,75,00*	*2,18,22*	*–1,56,78*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–			60,34,00	56,54,08	–3,79,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					15,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1793.00	1985.13	1821.23	–163.90
पु.	R.	192.13			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.		O.	6276.00	. .	. .	. .
पु.		R.	–6276.00			
मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Major and Medium Irrigation					
मू.		O.	18603.00			
पू.		S.	1.00	17263.45	16567.73	–695.72
पु.		R.	–1340.55			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation					
मू.		O.	12240.00	12525.94	12269.33	–256.61
पु.		R.	285.94			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्राण तथा जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage					
मू.		O.	12138.00	12868.34	12337.54	–530.80
पु.		R.	730.34			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.		O.	29806.00	26803.10	26726.17	–76.93
पु.		R.	–3002.90			

(I) 9778.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9714.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 6276.00 लाख रु. आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3451" - "अन्य व्यय - जल-विज्ञान परियोजना" - 188.00 लाख रु.;

(गा) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य - अनुसंधान - अनुसंधान - जल-विज्ञान परियोजना"- 472.00 लाख रु. (दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे; और

(घा) मुख्य शीर्ष "2702" - "भू-तल - अन्वेषण - जल-विज्ञान परियोजना"- 278.00 लाख रु.।

उपुर्यक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुईं।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) - सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना"- 2500.00 लाख रु. पंजाब करार समापन अधिनियम 2004 से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के लंबित होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अनुसंधान"-

(क) "राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान"- 106.20 लाख रु. की बचत (920.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न मदों का पुनर्संसाधन किए जाने/को पुन: आमंत्रित किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.9778.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.9714.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim" – Rs.6276.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3451" - "Other Expenditure- Hydrology Project" - Rs.188.00 lakhs;

(C) Major Head "2701" - "General- Research- Research - Hydrology Project" – Rs.472.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2005); and

(D) Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation - Hydrology Project" - Rs.278.00 lakhs.

Savings under the above three heads were due to late approval of the scheme.

(E) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Major Irrigation (Non Commercial) - Sutlej Yamuja Link Canal Project"- Rs.2500.00 lakhs - due to release of funds being subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of presidential Reference on Punjab Termination of Agreements Act 2004.

(II) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research" -

(a) "National Institute of Hydrology" - saving of Rs.106.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.920.00 lakhs) was due to reprocessing/reinviting of various items.

(ख) ''अनुसंधान और विकास कार्यक्रम''- 238.66 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेडियो और टीवी के माध्यम से चलाए जाने वाले प्रस्तावित जनसंचार अभियान को स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सर्वेक्षण और अन्वेषण - राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण''- 797.15 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य शुरू न किए जाने और कार्य बल बंद किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''केंद्रीय जल आयोग''- 155.63 लाख रु. की बचत (381.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और नर्मदा तापी घाटी संगठन द्वारा एटोमिक एब्जार्प्शन स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर संबंधी प्रस्ताव रद्द कर दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''भारत में बांध सुरक्षा और पुनर्वास के संबंध में केंद्रीय जल आयोग में सुविधाओं और कौशल का उन्नयन''- 209.22 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान, पुणे द्वारा प्रोजेक्ट मीन प्रीसिपिटेशन एटलस तैयार किए जाने के कार्य में धीमी प्रगति होने और कुछ प्रशासनिक कारणों से मानचित्रा प्रतियों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ग) ''कंप्यूटरीकरण/सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण''- 147.64 लाख रु. की बचत (227.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(घा) ''जलाशय अवसादन, नदी आकारिकी और अन्य सुदूर संवदेन अनुप्रयोग संबंधी अध्ययन''- 101.02 लाख रु. की बचत (263.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्रह्मपुत्रा पर अनुप्रस्थ काट कम संख्या में लिए जाने और महाराष्ट्र इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नासिक और राष्ट्रीय

(b) "Research and Development Programmes"– saving of Rs.238.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to postponement of proposed media campaign through Radio and Television.

(B) "Survey and Investigation - National Water Development Agency" - saving of Rs.797.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-undertaking of the work of detailed project report and closure of task force.

(C) "Other Expenditure"-

(a) "Central Water Commission"– saving of Rs.155.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.381.80 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and dropping of proposal for Atomic Absorption Spectro-photometer by Narmada-Tapi Basin organisation.

(b) "Upgradation of facilities and skills in Central Water Commission regarding dam safety and rehabilitation in India"– saving of Rs.209.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to slow progress in the work of preparation of Project Mean Precipitation Atlas by the Indian Institute of Tropical Management, Pune and non-procurement of map copies due to some administrative reasons

(c) "Upgradation and Modernisation of Computerisation/Information System" – saving of Rs.147.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.227.00 lakhs) was due to non-filing up of vacant posts.

(D) "Studies on Reservoir Sedimentation, River Morphology and other Remote Sensing Applications" - saving of Rs.101.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.263.00 lakhs) was due to less number of cross section on Brahmaputra taken and nonpayment of balance

सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद को शेष राशि की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्राण - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण और अन्वेषण''- 166.50 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रावधान को कम किए जाने के कारण हुई क्योंकि संयुक्त कार्यालय - सप्त कोसी सन कोसी अन्वेषण को नेपाल में अगस्त, 2004 में स्थापित किया गया था।

(खा) ''बंगलादेश और पड़ोसी देशों के बीच बहने वाली नदियों पर संयुक्त प्रेक्षण'' - 224.14 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय शिष्टमंडल के अंतर्राष्ट्रीय दौरों और नेपाल, भूटान, चीन और बंगलादेश से दौरे पर आने वाले विदेशी शिष्टमंडल के अतिथि सत्कार के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''आवक पूर्वानुमानों सहित भारत में बाढ़ पूर्वानुमान तंत्रा की स्थापना और आधुनिकीकरण''- 904.89 लाख रु. की बचत (1836.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नदी घाटी में टेलीमीटरी की स्थापना के लिए निविदा को देर से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(घा) ''गंगा घाटी राज्यों में क्रांतिक अपरदन रोधी निर्माण कार्य'' - 1700.03 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में पात्रा अधिकारियों के उपलब्ध न होने की वजह से रिक्त पदों के भरे न जाने और प्रतिनियुक्ति के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बाढ़ नियंत्राण - अन्य अनुदान - कोसी और गंडक परियोजनाओं के लिए बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का अनुरक्षण'' - 226.49 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रा प्रस्तुत

amount to Maharastra Engineering Research Institute, Nasik and National Remote Sensing Agency, Hyderabad.

(III) Under Major Head "2711"- "Flood Control - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Survey and Investigation of Kosi high-dam" - saving of Rs.166.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to scaling down of provision as the Joint office – Sapta Kosi Sun Kosi Investigation was established in Nepal in August, 2004.

(B) "Joint observation on rivers common to Bangladesh and neighbouring countries" - saving of Rs.224.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds meant for international visits of the Indian delegation and hospitality of visiting foreign delegation from Nepal, Bhutan, China and Bangladesh.

(C) "Establishment & Modernisation of Flood Forecasting Network in India including inflow forecasts"- saving of Rs.904.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1836.00 lakhs) was due to late finalisation of tender for telemetry installation in river basin.

(D) "Critical Anti erosion works in Ganga Basin states" - saving of Rs.1700.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-filling up of the vacant posts owing to non-availability of eligible officers in feeder grade for promotion and poor response for deputation.

(IV) "Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Flood Control - Other Grants - Maintenance of Flood Protection works of Kosi & Gandak Projects" – saving of Rs.226.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-

न किए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भू तल जल - अन्य अनुदान - लघु सिंचाई सांख्यिकी का यौक्तिकीकरण''- 306.52 लाख रु. की बचत (656.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चतुर्थ लघु सिंचाई गणना को एक वर्ष के लिए स्थगित किए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(V) आठ शीर्षों के अंतर्गत 550.08 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय''- 229.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1274.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने और आधुनिकीकरण एवं मरम्मत कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य''-

(क) ''निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय जल आयोग''- 139.72 लाख रु. का अधिक व्यय (1146.03 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, सरकारी दौरे अधिक किए जाने और चिकित्सा दावों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) ''आंकड़ा संग्रहण - केंद्रीय जल आयोग''- 231.95 लाख रु. का अधिक व्यय (4892.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने, महंगाई भत्ते का विलय किए जाने और ड्राइवर की वेतन अदायगी के कारण हुआ।

furnishing of utilisation certificates by State Governments.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Surface Water – Other Grants "Rationalisation of Minor Irrigation Statistics – saving of Rs.306.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.656.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to postponement of 4th MI Census by one year.

(V) Under eight heads savings of Rs.550.08 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 14 percent to 73 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major head –"3451" – "Secretariat Economic services- Secretariat –Ministry of Water Resources" - excess of Rs.229.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1274.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, increase in dearness allowance and payment to Central Public Works Department for modernisation and repair works.

(B) Major Head - "2701"- "General"-

(a) "Direction and Administration – Central Water Commission" – excess of Rs.139.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1146.03 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, more official tours and increase in medical claims

(b) "Data collection-Central water commission"- excess of Rs.231.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4892.25 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, merger of dearness allowance and salary payment of Driver

(ग) ''परामर्शी सेवा - केंद्रीय जल आयोग''- 168.25 लाख रु. का अधिक व्यय (1336.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित/कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू जल - अन्वेषण - केंद्रीय भू जल बोर्ड'' - 499.05 लाख रु. का अधिक व्यय (4951.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित /कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्राण - अन्य व्यय''-

(क) ''केंद्रीय जल आयोग'' - 364.65 लाख रु. का अधिक व्यय (2941.62 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, सरकारी दौरे अधिक होने और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) ''बह्मपुत्रा बोर्ड''- 1879.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''पगलादिया बांध परियोजना''- 150.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''असम में मजूली द्वीप के लिए नई स्कीमें, दिबांग परियोजना आदि''- 1100.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 57.59 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत था।

(c) "Consultancy-Central Water Commission"- excess of Rs.168.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1336.50 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases of regular/ work charged staff and increase in dearness allowance.

(C) Major Head – "2702" – "Ground Water – Investigation – Central Ground Water Board"- excess of Rs.499.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4951.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases of regular/work charged staff and increase in dearness allowance.

(D) Major Head "2711" –"Flood Control - Other Expenditure" –

(a) "Central Water Commission"- excess of Rs.364.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2941.62 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, more official tours and increase in dearness allowance.

(b) "Brahmaputra Board" - excess of Rs.1879.00 lakhs (against nil provision);

(c) "Pagaladia Dam Project" - excess of Rs.150.00 lakhs (against nil provision); and

(d) "New Schemes for Majuli Island in Assam, Dibang Project etc." - excess of Rs.1100.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head excess of Rs.57.59 lakhs occurred constituting 58 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the charged portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम*	Major Head "7601" *Loan and Advances to State Governments*	*300.00*	*160.50*	*–139.50*

(I) *"योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - बाढ़ नियंत्राण - अन्य कर्ज - पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए विशेष कर्ज सहायता"* के अंतर्गत *139.50 लाख* रु. की बचत (*300.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) पंजाब सरकार से प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "*Loans for Non-Plan Schemes - Flood Control - Other Loans - Special Loan assistance for emergent flood protection works in Eastern and Western sectors*" - saving of *Rs.139.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.300.00 lakhs*) was due to non-receipt of reimbursement proposal from Government of Punjab.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation	500.00	382.72	–117.28
मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्राण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects	878.00	696.68	–181.32

(I) 15.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.15.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4702" - "भू-जल - केंद्रीय भू जल बोर्ड" के अंतर्गत 117.28 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4702" – "Ground Water- Central Ground Water Board" – saving of Rs.117.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in approval of schemes by the Standing Finance Committee.

(III) मुख्य शीर्ष "4711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय- केंद्रीय जल आयोग" के अंतर्गत 181.32 लाख रु. की बचत (878.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4711" – "Flood Control - Other Expenditure - Central Water Commission" - saving of Rs.181.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.878.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by the Central Public Works Department for construction of office building.